UPPB010020312021

न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0 2 जनपद पीलीभीत।

पीठासीनः राम किशोर IV, एच0जे0एस0 UP-6077

विशेष सत्र परीक्षण संख्या 366/2021

उत्तर प्रदेश राज्य.....अभियोजन

प्रति

सत्यम जायसवाल पुत्र राकेश जायसवाल, निवासी मो0 खुशीमल, थाना सुनगढ़ी, जिला पीलीभीत

अपराध संख्या–25/2021
धारा 498ए, 323, 504 व 506
भा.द.सं. धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध एक्ट व धारा 3(2)(5ए) एस.सी./एस.टी. एक्ट,
थाना– कोतवाली,
जिला– पीलीभीत।

निर्णय

(1) अभियुक्त सत्यम जायसवाल के विरूद्ध पुलिस थाना कोतवाली जिला पीलीभीत द्वारा अंतर्गत धारा 498ए, 323, 504 व 506 भा.द.सं., धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम व धारा 3(2)(5ए) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में आरोपपत्र प्रस्तुत किये जाने पर अभियुक्त का विचारण आरोपित अपराध में किया गया है।

(2) अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि उसकी शादी माह फरवरी, 2020 में प्रेम विवाह बाद में अरेंज विवाह के रूप में सामान्य जाति जायसवाल के सत्यम जायसवाल पुत्र राकेश जायसवाल, निवासी मो0 खुशीमल, थाना कोतवाली, जिला पीलीभीत के साथ हिन्दू रीति रिवाज के साथ सम्पन्न हुआ था। शादी में उसके पिता ने अपनी हैसियत के मुताबित काफी दान दहेज दिया, लेकिन उसकी ससुराल वाले इससे खुश नहीं थे। उससे अतिरिक्त दहेज में दस लाख रूपये की मांग करते थे और कहते थे कि एक तोहम लोगों ने चमट्टिया से शादी कर ली है, हमारा धर्म खराब हुआ और दहेज भी नहीं मिला। उसके द्वारा असमर्थता जताने पर मारपीट करते थे, खाने पीने की तंगी देते थे और उसको अनुसूचित जाति के शब्दों साली चमट्टिया कहकर घर में व समाज में अपमानित किया करते थे, वह जाटव समाज

Digitally signed by Ram Kishor
Date: 2026.03.18 16:13:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

की है। दिनांक 03.01.2021 को उसके पति सत्यम व सास ने मारपीट कर समस्त जेवर, कपड़ा लेकर खाली हाथ घर से निकाल दिया और समस्त समाज के सामने कहा कि चमट्टी यदि दुबारा बिना दहेज के आयी, तो जान से मार देंगे। घटना के बावत वह थाने गयी, पुलिस परामर्श केन्द्र गयी, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला।

(3) उपरोक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर थाना कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 25/2021 धारा 498ए, 323, 504 व 506 भारतीय दण्ड संहिता, धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम व धारा 3(2)(5ए) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में अभियुक्त सत्यम जायसवाल व सास के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचना प्रारम्भ हुई। विवेचक द्वारा वादिनी का बयान अंतर्गत धारा 161 द.प्र.सं. दर्ज कराया गया, तत्पश्चात विवेचक द्वारा वादिनी का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। दौरान विवेचना साक्षीगण के बयानात लिये गये तथा वादिनी की निशानदेही पर घ ाटनास्थल का नक्शानजरी तैयार किया गया तथा विवेचक द्वारा विवेचना संबंधी समस्त औपचारिकता पूर्ण करने के उपरांत प्रथमदृष्टया साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त सत्यम जायसवाल के विरूद्ध अंतर्गत धारा 498ए, 323, 504 व 506 भारतीय दण्ड संहिता, धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम व धारा 3(2)(5ए) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में आरोपपत्र को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर इस न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया।

(4) अभियुक्त सत्यम जायसवाल के विरूद्ध मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 01.10.2022 को धारा 498ए, 323, 504 व 506 भारतीय दण्ड संहिता, धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम व धारा 3(2)(5ए) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में आरोप विरचित किये गये। अभियुक्त ने अपने विरूद्ध लगाये गये आरोपों से इन्कार किया और विचारण की मांग की।

(5) अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिए पी0डब्लू0 1 अंजू सिंह(वादिनी), पी0डब्लू0 2 प्रमोद कुमारी (वादिनी की मां), पी.डब्लू. 3 संतोष कुमार (एफ0आई0आर0 लेखक), पी0डब्लू0 4 विकासपाल सिंह (चक्षुदर्शी साक्षी) व पी0डब्लू0 5 डा. महावीर सिंह (डाक्टर) को साक्ष्य में परीक्षित कराया गया है। उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी भी साक्षीगण को अभियोजन की ओर से परीक्षित नहीं कराया गया है।

(6) अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित प्रलेखीय साक्ष्य भी प्रस्तुत किये गये है –

क्र. सं.	**साक्षी संख्या**	**साक्षी नाम**	**प्रदर्श संख्या**	**अभियोजन प्रपत्र**
1	पी.डब्लू. 1	अंजू सिंह	प्रदर्श क–1	तहरीर
2	पी.डब्लू. 2	प्रमोद कुमारी	–	–
3	पी.डब्लू. 3	संतोष कुमार	प्रदर्श क–2	प्रथम सूचना रिपोर्ट

			प्रदर्श क–3	कायमी जी.डी.
4	पी.डब्लू. 4	विकास पाल सिंह	–	–
5	पी.डब्लू. 5	डा. महावीर सिंह	प्रदर्श क–4	मेडिकल रिपोर्ट

(7) अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आरोप पत्र व घटनास्थल नक्शानजरी अभियोजन प्रपत्र की प्रमाणिकता की औपचारिक सत्यता को अंतर्गत धारा 294 दं0प्र0सं0 स्वीकार की गयी है तथा अभियोजन साक्ष्य समाप्त की गयी।

(8) अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया। अभियुक्त ने अपने बयान में अभियोजन कथानक को गलत बताया तथा साक्षीगण के बयानों के संबंध में कहा कि गलत बयान दिया है। वादिनी अपनी मर्जी से अलग रह रही है। तलाक लेने के लिए अंजू सिंह ने फर्जी कार्यवाही की है। अंजू सिंह सारा माल जेवर ले गयी, वह उसे छोड़कर दूसरा विवाह करना चाहती है, इसीलिए उसे झूठा फंसाया गया है, वह निर्दोष है।

(09) अभियोजन की ओर से दौराने बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त ने अतिरिक्त दहेज के रूप में दस लाख रूपये की मांग पूरी न करने पर समय–समय पर वादिनी को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया, उसे मारा पीटा, गंदी गंदी गालियां दी, जान से मारने की धमकी तथा लोकदृष्टि वाले स्थान पर उसकी जाति को संबोधित करते हुए जातिसूचक गालियां देकर अपमानित किया। साक्षीगण के साक्ष्य से अभियोजन कथानक साबित होता है। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पूर्णतः साबित है। अतः उन्हें दोषसिद्ध किया जाये।

(10) बचाव पक्ष अधिवक्ता की ओर से अभियोजन के तर्कों का खंडन करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षी पी.डब्लू. 1 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में इस बात को स्वीकार किया गया है कि वह इस मुकदमे को चलाना नहीं चाहती है। उसने प्रताड़ना का मुकदमा झूठा लिखा दिया था। उनके बीच में कोई विवाद शेष नहीं है। साक्षी पी.डब्लू. 2 व पी.डब्लू. 4 द्वारा अपने साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। साक्षी पी.डब्लू. 5 वादिनी का चिकित्सीय परीक्षणकर्ता है, जिसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण के समय मजरूब/वादिनी के शरीर पर कोई चोट का निशान व दर्द होना नहीं पाया गया है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर लगाये गये उपर्युक्त आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

(11) उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्क एवं पत्रावली पर विद्यमान साक्ष्यों के आधार पर प्रश्नगत दाण्डिक वाद का मूल्यांकन कर किसी निष्कर्ष पर पहुॅचना समीचीन होगा।

(12) **भा0दं0सं0 की धारा–498क–किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना–** जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डित होगा।

(13) भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 323** के अनुसार– उस दशा के सिवाय, जिसके लिए धारा 334 में उपबंध है, जो कोई स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्श तक की हो सकेगी, या जुर्मान से, जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

(14) भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 504** के अनुसार– जो कोई किसी व्यक्ति के साशय अपमानित करेगा और तद्द्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए प्रकोपित करेगा कि ऐसे प्रकोपन से वह लोकशांति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों, से दण्डित किया जाएगा।

(15) भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 506** के अनुसार– जो कोई आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

(16) **दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा–3/4** की परिभाषा धारा–2 में प्रावधानित किया गया है कि–दहेज का तात्पर्य है विवाह के एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के लिए या विवाह के किसी पक्ष के माता–पिता या अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष या किसी अन्य व्यक्ति के लिए विवाह के संबंध में विवाह के समय या उसके पूर्व या पश्चात् किसी समय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दी जाने वाली दी जाने के लिए प्रतिज्ञा की गयी, किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति से है। मूल्यवान प्रतिभूति का तात्पर्य वही होगा, जो भा0दं0सं0 की धारा 30 के अधीन होता है।

(17) **अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3** के अनुसार– अत्याचार के अपराधों के लिए दण्ड– (2) कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है–

धारा (va) अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई अपराध किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरूद्ध, यह जानते हुए करेा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या वह संपत्ति ऐसे सदस्य की है, वह ऐसे अपराधरों के लिए भारतीय दण्ड संहिता के अधीन यथा विनिर्दिष्ट दण्ड से दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

(18) प्रश्नगत प्रकरण में वादिनी को अतिरिक्त दहेज की मांग के लिए मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने, मारपीट करने, साशय गंदी गंदी गालियां देने, जान से मारने की धमकी एवं अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम का आरोप अभियुक्त पर है। ऐसे मे अभियोजन पक्ष के लिए बाध्यकारी है कि वह साकारात्मक

रुप से यह तथ्य प्रमाणित करे कि अभियुक्त द्वारा वादिनी को अतिरिक्त दहेज में दस लाख रूपये की मांग पूरी न करने पर उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया, जोकि अनुसूचित जाति की सदस्य थी।

(19) अभियोजन की ओर से प्रस्तुत वादी मुकदमा **पी0डब्लू–1 अंजू सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि'' मेरा विवाह सत्यम जायसवाल से दिनांक 14.02.2020 को हुआ था। हम लोगों का विवाह दोनों परिवारों की सहमति से अरेंज मैरिज हुयी थी। शादी के बाद मैं विदा होकर मैं अपने पति के साथ किराये के मकान पर रहती थी। किराये के मकान पर मेरी सास सुधा जायसवाल, जेठ शुभम जायसवाल का चाचा रजनीश जैयसवाल मुझसे मिलने आते थे तथा मुझसे दस लाख रूपये की मांग तथा घर बनवाने के लिए करते थे। मेरे पति सत्यम जायसवाल भी मांग करते थे। मैंने अपनी ससुराल वालों से कहा कि मेरे परिवार वाले किराये के मकान में रहते है। वो इनात पैसा नहीं दे पायेंगे। अभी तो शादी में काफी पैसा खर्च किया है, तो उक्त लोग मुझे गालिया देने लगे और जान से मारने की धमकी दी कि यदि पैसा नहीं दिया, तो जान से मार देंगे और जातिसूचक गालियां दी कि चमट्टी भंगानिया तूने हमारा धर्मभ्रष्ट कर दिया है, तू छोटी जाति की है, न ही दहेज के दस लाख रूपये दे रही है। गालियां दी व मारपीट की। उक्त लोगों ने मुझे कई बार किराये के मकान में व ससुराल में मारापीटा था। अंतिम बार 03.01.2021 को ससुराल में पुश्तैनी मकान पर मारापीटा था। मैंने अपनी डाक्टरी जिला अस्पताल में करायी थी। उपरोक्त लोग भी एल.आई.सी. व सर्विस बुक से सत्यम जायसवाल को नामिनी बनाने को कहते थे एवं रामवाटिका कालोनी पचास लाख का घर लेने को कहते थे। किराये के मकान से मेरे स्कूल जाने के बाद मेरे पति सत्यम जायसवाल घ ार की अलमारी में रखे पचास हजार रूपये बर्तन आदि निकाल कर अपने पुश्तैनी मकान में ले गये थे। दिनांक 03.01.2021 को स्कूल से आने के बाद लगभग दो घंटे के बाद मैंने अपने पति को फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। इस बात को लेकर मैं काफी परेशान हो गयी और अपने पति के बारे में पता करने के लिए ससुराल में पुश्तैनी मकान पर गयी। वहां ससुराल वालों ने दरवाजा खोल कर मुझे अंदर खींच लिया तथा गालियां दी व मारपीट की, जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया। किसी तरह मैं वहां भाग कर कोतवाली गयी। जहां से मुझे परिवार परामर्श केन्द्र भेज दिया गया, फिर मैंने इसकी सूचना थाने पर दी एवं सी.ओ. आफिस भेजी। टाइपशुदा तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत कराय। तहरीर पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर शिनाख्त किये। तहरीर पर प्रदर्श क–1 डाला गया। घटना के बावत सी.ओ. साहब ने मेरा बयान लिया था व मेरी निशानदेही पर नक्शानजरी बनाया।'' बचावपक्ष की प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया कि '' मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूॅ। वर्तमान में मैं बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूॅ। शादी से पूर्व 7–8 वर्ष पहले से मेरा सत्यम जायसवाल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। मैंने अपने पति सत्यम जायसवाल के विरूद्ध एक तलाक का मुकदमा भी किया है, जो पीलीभीत में ही परिवार न्यायालय में चल रहा है। तलाक के मुकदमे में भी आज ही की दिनांक नियत है। तलाक के मुदकमे के अलावा अन्य कोई मुकदमा नहीं किया है। मै सत्यम जायसवाल से तलाक चाहती हूॅ। परिवार परामर्श केन्द्र में भी दिनांक 20.01.2021 को मामले की सुनवाई हुयी थी। 20.01.2021 को तहसी पुलिस लाइन के परामर्श केन्द्र में हम दोनों पक्ष मामले की सुनवाई हेतु आये थे। वहां सुनवाई के दौरान जो प्रपत्र बने थे। उस पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर हुए थे, जिसकी छायाप्रति पत्रावली में शामिल है।

दोनों पक्षों के मध्य वार्ता इकरार था। वह निरस्तीकरण प्रार्थना के कालम सं. 4 में अंकित है। जो प्रपत्र संख्या ख–16/2 है, जिन सी.ओ. वीरेन्द्र विक्रम की उपस्थिति में 20.01.2021 को दोनों पक्षों की सुनवाई की गयी थी, उन्हीं सी.ओ. वीरेन्द्र विक्रम से मैं दोबारा तीन दिन बाद मिली थी। उन्हीं के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ था। मैं सव्यय(पति) के साथ बतौर पति–पत्नी के रूप में वसुंधरा कालोनी में किराये के मकान में रहे थे। मैंने अभियुक्त के रूप मे शिवम व रजनीश का नाम अपनी एफ0आई0आर0/तहरीर में नहीं लिखाया है। तहरीर मैंने कैफे में बजरिया स्थित में टाइप करायी थी। सत्यम पी.एच.सी. ललौरी खेड़ा में कार्य करता है। ये संविदा के रूप में डाटा ऐण्टरी ऑपरेटर है, मुझे ये जानकारी नहीं है कि सत्यम को कितना वेतन मिलता है। मुझे ये जानकारी है कि सत्यम का मासिक वेतन मेरे वेतन से बहुत कम है। मेरी व सत्यम की शादी विधिवत बारात घर पर हुयी थी। बागगुलेशर खां में मेरे मायके वाले रहते है। बाग गुलेशर खां वाले मकान मे मैं व सत्यम बतौरत पत्नी पति नहीं रहे थे। न ही सत्यम कभी आया था। शादी के चार वर्ष पूर्व से ही मेरी नौकरी लग चुकी थी। सत्म की नौकरी भी शादी से पहले लगी हुयी थी। सत्यम का घर कैसा है, नहीं मालूम, मैं भी नहीं गयी। जब मैं छोटी थी, तो मोहल्ला खुशीमल में ही रहते थे। किराये पर इसी मोहल्ले में ही सत्यम का भी घर है। इसी मोहल्ले में रहने के दौरान मेरी सत्यम से जान पहचान हुयी थी। मोहल्ला खुशीमल में हम लोग 5–6 वर्ष रही थी। ये कहना गलत है कि सत्यम व उसके घर वालों ने मुझसे दहेज में 10 लाख रूपये की मांग न की हो, मेरा उत्पीड़न न किया हो। ये कहना भी गलत है कि दिनांक 03.01.2021 या अन्य किसी तिथि को सत्यम आदि ने मेरे साथ मारपीट न की हो, गालियां न दी हो। जान से मारने धमकी न दी हो। जातिसूचक शब्दों से अपमानित न किया हो। ये कहना भी गलत है कि मुझसे सत्यम व उसके परिवार वालों ने दहेज की मांग की हो। ये कहना सही है कि शादी के 4–6 साल पहले से सत्यम व मेरी जान पहचान हुयी थी, तब से सत्यम को जानकारी थी कि मैं अनुसूचित जाति की हूॅ। ये कहना गलत है क मेरा मासिक वेतन 60 हजार है व सव्यय का वेतन 8–10 हजार रूपये होने के कारण मैं उसके साथ रहने को तैयार नहीं हूॅ और मैं गलत बयानी कर रही हूॅ।''

(20) बचावपक्ष अधिवक्ता की ओर से इस साक्षी से पुनः प्रतिपरीक्षा किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार कर इस साक्षी से पुनः प्रतिपरीक्षा करने का आदेश पारित किया। माननीय न्यायालय के आदेश दिनांकित 09.03.2026 के अनुपालन में इस साक्षी से पुनः बचावपक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी जिसमें इस साक्षी ने कथन किया कि'' मैंने व मेरे पति ने आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए धारा 13 बी हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत तलाक संयुक्त याचिका परिवार न्यायालय में दाखिल की है। उसमें प्रस्ताव हेतु आज की तारीख नियत है। मैं और मेरे पति सत्यम आपसी सहमति से विवाह विच्छेदन याचिका का निस्तारण करा रहे है, जिस मुकदमे में मैं गवाही दे रही हूॅ, उस मुकदमे को चलाना नहीं चाहती हूॅ। आपसी सहमति से निस्तारित कराना चाहती हूॅ। इस मुकदमे में मैं कोई गवाह पेश कराना नहीं चाहती हूॅ। पति पत्नी के मध्य वैचारिक मतभेद हो जाने के कारण मैंने यह मुकदमा कर दिया था। हमारे बीच पति पत्नी का विवाद था। मोहल्ले वालों ने व परिवार वालों ने भड़का कर यह मुकदमा लिखवा दिया था। अन्य कोई विवाद नहीं था। दहेज के लिए उत्पीड़ित नहीं किया। दहेज के लिए परेशान नहीं किया, अपमानित नहीं किया। हम लोगों ने प्रेम विवाह किया था। एक साल साथ

रहने के बाद हम दोनों के बीच मनमुटाव हो गया था, जिस कारण एक साथ रहना संभव नहीं हो सका। वकीलों की सलाह से मैंने अपने पति के खिलाफ दहेज अधिनियम/प्रताड़ना का मुकदमा झूठा लिखा दिया था। अब हम लोगों के बीच कोई विवाद शेष नहीं रह गया है। हम दोनों लोग अपनी आपसी सहमति से अलग रह रहे है। अब हम लोग कोई कार्यवाही कराना नहीं चाहते है।''

(21) इस प्रकार इस साक्षी ने अपनी मुख्यपरीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया तथा स्वयं अपनी प्रतिपरीक्षा में इस बात को स्वीकार किया गया है कि उसने व उसके पति ने आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए धारा 13 बी हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत संयुक्त याचिका परिवार न्यायालय में दाखिल की है। वह व उसका पति सत्यम आपसी सहमति से विवाह विच्छेदन याचिका का निस्तारण करा रहे है, जिस कारण वह इस मुकदमे का चलाना नहीं चाहती है। पति–पत्नी के मध्य वैचारिक मतभेद होने के कारण व मोहल्ले वालों व परिवार वालों के भड़काने पर उसने यह मुकदमा लिखा दिया था। अभियुक्त ने दहेज के लिए उत्पीड़ित नहीं किया, दहेज के लिए परेशान नहीं किया और न ही अपमानित किया। हम लोगों ने प्रेमविवाह किया था। वकीलों की सलाह से उसने अपने पति के खिलाफ दहेज अधिनियम/प्रताड़ना का मुकदमा झूठा लिखा दिया था। अब हम लोगों के बीच कोई विवाद शेष नहीं है। अब हम लोग कोई कार्यवाही कराना नहीं चाहते है। इस प्रकार स्वयं वादिनी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में वकीलों के सलाह से दहेज अधिनियम/प्रताड़ना का उक्त मुकदमा अपने पति के विरूद्ध लिखाया गया है, जिस कारण इस साक्षी के उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है।

(22) जहां तक वादिनी के साथ कथित रूप से कारित शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की घटना का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध मे साक्षी पी.डब्लू. 5 द्वारा अपने साक्ष्य में इस बात को उल्लेख किया है कि पीड़िता के शरीर पर कोई चोट नहीं थी और न ही पीड़िता द्वारा दर्द होना बताया गया, इस प्रकार चिकित्सीय साक्ष्य से भी अभियोजन कथानक को कोई समर्थन नहीं मिलता है।

(23) अभियोजन की ओर से प्रस्तुत **पी0डब्लू–2 प्रमोद कुमारी** ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि''मेरी लड़की अंजू सिंह का विवाह 14.02.2020 को सत्यम जायसवाल के साथ हुआ था। मैं जाटव जाति की हूॅ। जब मेरी लड़की विदा होकर अपनी ससुराल गयी, तो सत्यम जायसवाल उसकी मां सुधा तथा सत्यम के चाचा, भाई शिवम मेरी लड़की को मारते पीटते थे। किराये के मकान ले गये, जो ससुराल के मकान के पास था। मेरी लड़की को जातिसूचक गाली चमरिया, मंगत कहकर अपमानित करते थे। मेरी लड़की अंजू से दहेज में दस लाख की मांग करते थे। मेरी पुत्री ने मुझे सभी घटनाओं के संबंध में बताया था। हमने शादी में अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था। दहेज को लेकर अकसर मेरी लड़की से उक्त चारों लोग झगड़ा करते थे व मांग करते थे। मैं और मेरे पति बाबू सिह ने कई बार समझाया, लेकिन सुधार नहीं हुआ। तब मेरी बेटी ने उक्त लोगों से परेशान होकर मेरी बेटी ने थाने में रिपोर्ट लिखा दी। घटनास्थल के संबंध में मुझसे पूछताछ की थी। '' बचावपक्ष की प्रतिपरीक्षा मे साक्षी ने कथन किया कि''मेरे चार बच्चे है। मेरी बेटी अंजू सिंह, बेसिक शिक्षा परिषद में अध्यापिका है। सत्यम जायसवाल जिस मोहल्ले में रहते थे, उसी मोहल्ले में पहले हम लोग भी रहते थे। इस समय हम लोग

जाटो वाले चौराहा पर रह रहे है। सत्यम जायसवाल ने वसुंधरा कालोनी में मकान किराये पर लिया था। एक ही मोहल्ले में रहने के कारण सत्यम जायसवाल से जान पहचान हो गयी। सत्यम व मेरी बेटी अंजू का आपस में प्यार हो गया था, इसीलिए हमने इन दोनों की शादी कर दी। शादी विधिवत हुयी थी। मुझे नहीं पता सत्यम जायसवाल क्या करता है सत्यम व अंजू साथ–साथ कम्प्यूटर कोचिंग भी रकते थे। मुझे यह भी नहीं पता कि सत्यम छोटी मोटी नौकरी करता है या नहीं। यह बात सही है कि मेरी बेटी अंजू ने अपने पति सत्यम से तलाक लेने के लिए तलाक का मुकदमा कर दिया है। अंजू व सत्यम की आपस में मेलजोल व जान पहचान होने के 8–10 वर्ष बाद मैने अंजू का विवाह किया था। मेरे पति का निधन लगभग एक वर्ष पांच माह पूर्व हो चुका है। मुझे ध्यान नहीं है कि मेरी बेटी के मामले की सुनवाई परिवार परामर्श केन्द्र में हुयी थी। किराये वाले मकान में मेरी बेटी व सत्यम एक साल साथ में रहे। उसके बाद मेरी बेटी अंजू मायके में आ गयी ओर तब से वही रह रही है। यह कहना गलत है कि सत्यम व उसके घर वालों ने दहेज में 10 लाख रूपयो की मांग को लेकर मेरी बेटी के साथ मारपीट की हो, दहेज मांगा हो, जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया हो, धमकी दी हो व चमरिया कहा हो। यह कहना भी गलत है कि मेरी बेटी बेसिक शिक्षा परिषद में अध्यापिका हो जाने के कारण व सत्य को एडनोर्च बार की मालूम नौकरी हो जाने के कारण हम लोगों ने झूठी रिपोर्ट लिखा दी हो। यह कहना भी गलत है कि सिखाये पढाये से आज मैं गलत गवाही दे रही हो।''

(24) इस प्रकार यह साक्षी वादिनी की मां है, जिसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में उसकी पुत्री अर्थात् वादिनी द्वारा अभियुक्त द्वारा अतिरिक्त दहेज में 10 लाख रूपये की मांग करने, अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर भिन्न–भिन्न तिथियों व समय–समय पर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, जातिसूचक चमरिया कहकर अपमानित करने, जान से मारने की धमकी देना के संबंध में उसकी पुत्री द्वारा बताया गया है। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में इस बात को भी स्वीकार किया गया है कि उसकी बेटी व अभियुक्त ने प्रेम विवाह किया था, उसकी बेटी ने अभियुक्त सत्यम जायसवाल से तलाक के लिए मुकदमा कर दिया है। इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा में अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसके बेटी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किये जाने के संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, जिस कारण इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक को बल नहीं मिलता है।

(25) अभियोजन की ओर से परीक्षित **पी0डब्लू–3 संतोष कुमार** ने अपनी मुख्यपरीक्षा में यह कथन किया है कि ''अंजू सिंह के प्रार्थना पत्र पर मैंने मु.अ.सं. 25/2021 धारा 498ए, 323, 504, 506 भा.द.सं. व धारा 3/4 डी.पी.एक्ट व धारा 3(2)5ए एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा कायम किया था। तहरीर समय 12:15 बजे दिनांक 24.01.2021 के कम्प्यूटर ऑपरेटर से बोल बोल कर मैंने टाइप करवायी थी। मुकदमा सत्यम और सास के विरूद्ध पीड़िता अंजू द्वारा लिखवाया गया था। तहरीर टाइपशुदा थी। एफ.आई.आर. पत्रावली में क4/7 के रूप में संलग्न है। यह वही तहरीर है जो मेरे द्वारा बोल बोल कर लिखवायी गयी थी, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया तथा कायमी भी कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा की गयी थी, जो पत्रावली में क–5 के रूप में शामिल है, जिसे देखकर में तस्दीक करता हूँ।'' बचावपक्ष की प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया कि चिक एफ0आई0आर0 प्रदर्श क–2 मैंने स्वयं टाइप नहीं की है, जिसने इसे टाइप किया हो, उसका मुझे नाम नहीं

मालूम। प्रदर्श क–3 पर किसी के कोई हस्ताक्षर नहीं है, न ही कोई मोहर है। इस पर हस्ताक्षर कोतवाली नगर टाइप है, लेकिन हस्ताक्षर नहीं है। मैंने जो मुख्य परीक्षा लिखायी है, वह न्यायालय की पत्रावली से लिखायी है। यह मुकदमा मैंने 24.01.2024 को दर्ज कराया था। मुझे नहीं पता कि सत्यम जायसवाल पति है और उसके साथ है। मुख्य परीक्षा की बाते सरकारी वकील ने अपनी मर्जी से लिखायी है। मैं नहीं बता सकता कि इस मुकदमे से पहले संज्ञेय अपराध का मुकदमा थाने पर कब दर्ज हुआ था। यह कहना गलत है कि अधिकारियों के दबाव में मैंने गलत मुकदमा दर्ज किया हो। तहरीर में अंकित मो0 खुशीमल थाना सुनगढ़ी में पड़ता है। मो0 खुशीमल सदर कोतवाली में नहीं पड़ता है। चिक एफ0आई0आर0 प्रदर्श क–2 का घटनास्थल थाना सुनगढ़ी क्षेत्र का है, थाना कोतवाली सदर क्षेत्र का नहीं है। यह कहना गलत है कि गलत गवाही दे रहा हो।'' इस प्रकार यह साक्षी औपचारिक साक्षी है, जिसके द्वारा अपनी साक्ष्य में प्रथम सूचना रिपोर्ट व कायमी जी.डी. को साबित किया गया है। इस साक्षी के साक्ष्य का संपूर्ण विश्लेषण किये जाने पर अभियोजन कथानक का कोई बल नहीं मिलता है।

(26) अभियोजन की ओर से परीक्षित **पी0डब्लू–4 विकास पाल सिंह** ने अपनी मुख्यपरीक्षा में यह कथन किया है कि ''अंजू सिंह ने सत्य जायसवाल से वर्ष 2020 में प्रेमविवाह किया था। दोनों में बाद में क्या हुआ था, मुझे जानकारी नहीं है। सत्यजायसवाल ने मेरे साथ अंजू सिंह से दहेज की मांग नही की थी ओर न ही मेरे सामने मारपीट, गाली गलौज की थी और न ही जान से मारने की धमकी दी थी।'' इस स्तर पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन की प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया कि गवाह को धारा 161 सी.आर.पी.सी. पढ़कर सुनाया गया, तो साक्षी ने कहा मैंने ऐसा कोई बयान पुलिस को नहीं दिया था। पुलिस ने कैसे लिख लिया, मैं इसकी वजह नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण से मिल जाने के कारण सही बात न बता रहा है।'' बचावपक्ष की प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया कि '' दिनांक 03.01.2021 को या अन्य किसी दिन सत्यम ने अपनी पत्नी अंजू सिंह के साथ मारपीट नहीं की, गालियां नहीं दी, धमकियां नहीं दी, जातिसूचक शब्दों से अपमानित नहीं किया। दहेज में दस लाख रूपये की मांग नहीं की। दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं किया। शादी के बाद अंजू सिंह कभी कभी अपनी ससुराल नहीं आयी, वह किराये के मकान में वसुंधरा कालोनी में रहती थी। अंजू सिंह बेसिक शिक्षा परिषद में अध्यापिका है, उसका वेतन सत्यम जायसवाल से बहुत अधिक है, इस कारण अपने पति के साथ नहीं रह रही हो।'' इस प्रकार इस साक्षी द्वारा भी अपने संपूर्ण साक्ष्य में अभियोजन कथानक से इतर एवं विपरीत कथन किये जाने से अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है।

(27) अभियोजन की ओर से परीक्षित **पी0डब्लू–5 डा. महावीर सिंह** ने अपनी मुख्यपरीक्षा में यह कथन किया है कि ''मैं दिनांक 04.02.2021 को भी उपरोक्त पद व स्थान पर तैनात था। उसी दिन मैंने अंजू सिंह के शरीर पर आयी चोटों का मुआयना कर आख्या तैयार की, जिसे एल.सी. 107 कुसुमा शर्मा, थाना कोतवाली, जिला पीलीभीत लेकर आयी थी। मजरूब के शरीर पर कोई भी चोट का निशान तथा कही भी दर्द होना नहीं पाया गया। मेडिकल रिपोर्ट मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जो शामिल पत्रावली कागज संख्या क7 है, जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया।'' बचावपक्ष की प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया कि'' मजरूब के शरीर पर कोई चोट नहीं थी। पूरे शरीर में कही कोई दर्द नहीं था।'' इस प्रकार यह साक्षी औपचारिक साक्षी है, जिसके

द्वारा मात्र मेडिकल रिपोर्ट को साबित किया गया है। इस साक्षी के साक्ष्य का संपूर्ण विश्लेषण किये जाने पर अभियोजन कथानक का कोई बल नहीं मिलता है।

(28) जहां तक अभियोजन प्रपत्रों आरोप पत्र व घटनास्थल नक्शानजरी का प्रश्न है। उक्त प्रपत्रों की प्रमाणिकता की सत्यता अभियुक्त की ओर से औपचारिक रूप से स्वीकार कर ली गयी है। निसन्देह अभिलेखीय साक्ष्य एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है परंतु अभिलेखीय साक्ष्य उसी स्थिति में महत्वपूर्ण है जबकि उसकी पुष्टि मौखिक साक्ष्य द्वारा की गयी हो। वर्तमान मामले में अभिलेखीय साक्ष्य की पुष्टि हेतु पत्रावली पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः मात्र अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर जब तक कि उक्त अभिलखों की पुष्टि हेतु कोई पुष्टिकारक साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। मात्र अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता।

(29) वादिनी मुकदमा पी.डब्लू.–1 अंजू सिंह द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने/मिथ्या साक्ष्य गढ़ने तथा थाने में प्रस्तुत की गयी तहरीर के कथनों का वादिनी द्वारा अपने बयानों में समर्थन न करने के सम्बंध में उसके विरूद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज किये जाने योग्य है।

(30) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **दिग्म्बर वैष्णव एवं अन्य बनाम स्टेट आफ छत्तीसगढ़ (2019) 2 एस०एस०सी०–क्रि०–300** में अभिनिर्धारित किया गया है कि –

> आपराधिक विचारण के मामले में यह आधारभूत सिद्धांत है कि आपराधिक मामले को साबित करने का भार सदैव ही अभियोजन पर रहता है तथा ये सामान्यतः कभी भी परिवर्तित नही होता है। किसी भी व्यक्ति को अनुमान और शंकाओं अथवा संदेह चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो, के आधार पर दोषसिद्ध नही किया जा सकता। सशक्त शंका, संयोग एवं गंभीर संदेह कभी भी वैध सबूत का स्थान नही ले सकते हैं।

तथा **परमजीत सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य ए.आई.आर. 2011 पेज नं. 200** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि –

आपराधिक मामले में अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के विरूद्ध अपना मामला सन्देह से परे साबित किया जाना आवश्यक है यदि अभियोजन अपने दायित्व में विफल होता है तो उसका लाभ अभियुक्त को प्राप्त हो सकेगा।

(31) इसप्रकार उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना के उपरांत यह निष्कर्ष निकल रहा है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त सत्यम जायसवाल के विरुद्ध युक्तियुक्त साक्ष्य के माध्यम से आरोप दंडनीय अर्न्तगत धारा 498ए, 323, 504 व 506 भारतीय दण्ड संहिता, धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम व धारा 3(2)(5ए) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट संदेह से परे साबित करने मे असफल रहा है। अतः अभियुक्त सत्यम जायसवाल के विरूद्ध लगाये गये आरोपों अंतर्गत धारा 498ए, 323, 504 व 506 भारतीय दण्ड संहिता, धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम व धारा 3(2)(5ए) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अपराध में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

एतद्द्वारा विशेष सत्र परीक्षण संख्या 366/2021, मुकदमा अपराध संख्या 25/2021 में अभियुक्त सत्यम जायसवाल को उसके विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 498ए, 323, 504 व 506 भारतीय दण्ड संहिता, धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम व धारा 3(2)(5ए) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अपराध में दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर हैं। उसके बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

इस मामले में अभियुक्त धारा 437ए दं0प्र0सं0 का अनुपालन एक सप्ताह के भीतर करना सुनिश्चित करें।

वादिनी मुकदमा अंजू सिंह के विरूद्ध धारा–344 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मिथ्या साक्ष्य देने/मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के सम्बंध में प्रकीर्ण वाद पंजीकृत कर उसके विरूद्ध नोटिस जारी किये जाये।

(राम किशोर IV)
दिनांकः 18.03.2026 विशेष न्यायाधीश(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0 2,
जनपद पीलीभीत।

निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(राम किशोर IV)
दिनांकः 18.03.2026 विशेष न्यायाधीश(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0 2,
जनपद पीलीभीत।